निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-32/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक - पुरोला (उत्तरकाशी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबंधक - पुरोला (उत्तरकाशी) के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.06.2018 से 14.06.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव, एवं श्री एन.के.बंसल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.04.2015 से 24.04.2015 तक श्री ए0के0 भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह विगत लेखापरीक्षा से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह ------- से ------ तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह ---------- से ---------- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	39.93
2016-17	45.05
2017-18	43.23

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -'A'--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

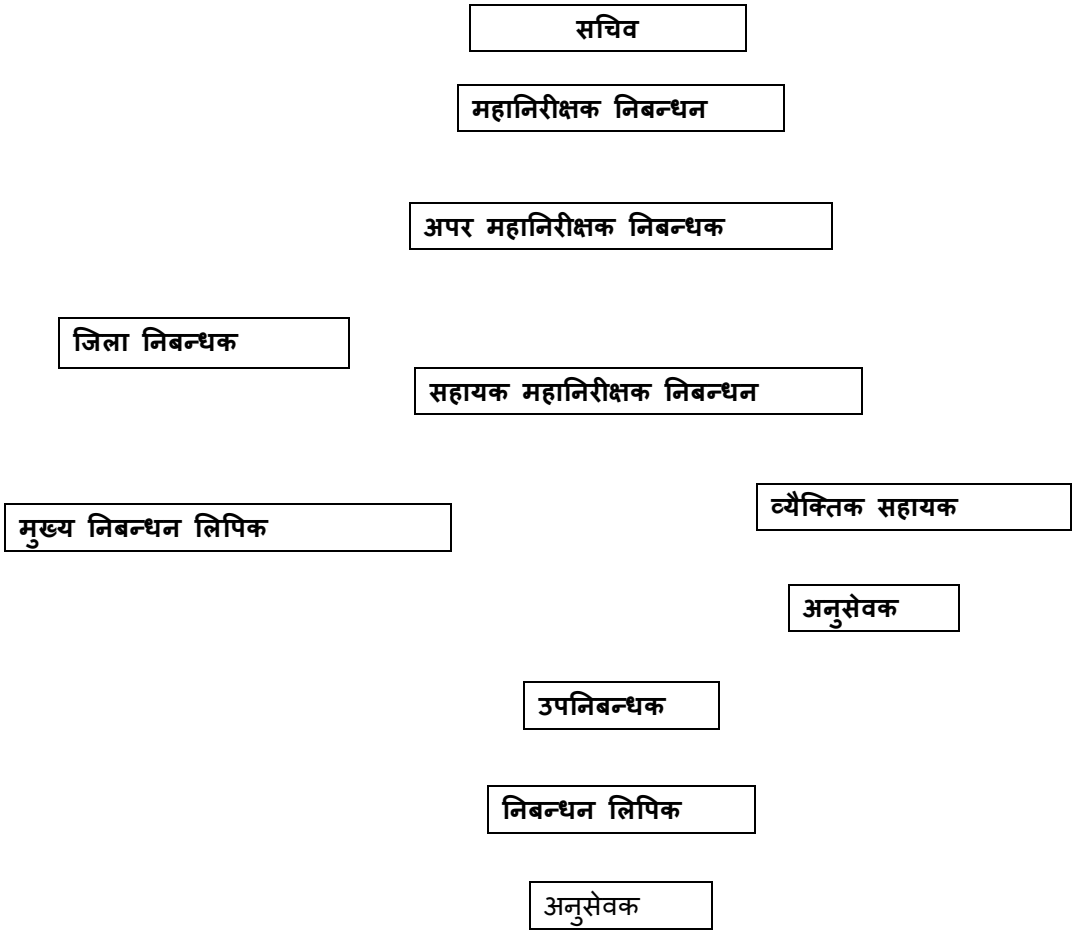

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **पुरोला तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र पंजीयन का कार्य** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक - पुरोला (उत्तरकाशी)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2018, 10/2016, 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II(ब)

प्रस्तर सं०1: त्रुटिपूर्ण स्टांप शुल्क के मूल्यांकन के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 0.30 लाख।

कार्यालय उप निबंधक पुरोला की 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेखो संबन्धित नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि सम्पूर्ण उत्तराखंड के लिए लागू क्षरण सारणी के अनुसार क्षरण कि गणना नहीं कि गई थी, जिससे विलेख पत्रो मे क्षरण गणना त्रुटिपूर्णपाई गई थी, जिनके विवरण निम्नवत हैं |

(1) बही -01, जिल्द संख्या 23, क्रमांक 400 दिनांक 23-09-17 को पंजीकृत कराया गया था जिस पर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क `87000/-जमा किया गया था | उक्त विलेख मे क्षरण का लाभ की गणना त्रुटिपूर्ण थी| इसलिए सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार हैं|

वयनामा विक्रय मूल्य =`1737000/-

भूमि का मूल्यांकन कि राशि =` 1,54,700/-(भूमि की दर 910 प्रति वर्ग मी ×भूमि 170 वर्ग मी (है0 0.017)

निर्मित भवन का मूल्यांकन = ` 17,88,071/- (132.06 वर्ग मीटर × दर 14104 × 0.960 (क्षरण 04 वर्ष)

योग =` 19,42,771 /- (154700 +1788071)

देय स्टाम्प शुल्क =` 97139/-(1942771×5%)

जमा स्टाम्प शुल्क =` 87000/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी = ` 10139/-(97139 - 87000)

उक्त स्टम्प कमी ` 10139 /- नहीं जमा कराया गया था जिससे स्टाम्प शुल्क राजस्व हानि हुई थी |

(2) बही -01, जिल्द संख्या 24, क्रमांक 428 दिनांक 30-10-17 को पंजीकृत कराया गया था जिस पर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क 21800/-जमा किया गया था | उक्त विलेख मे क्षरण का लाभ की गणना त्रुटिपूर्ण थी| इसलिए सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार हैं|

वयनामा विक्रय मूल्य =`435000 /-

भूमि का मूल्यांकन कि राशि =` 56700 /-(भूमि की दर 945 प्रति वर्ग मी ×भूमि 60 वर्ग मी (है0 0.006)

निर्मित भवन का मूल्यांकन = 600136 (39.35 वर्ग मीटर × दर 17734 × 0.860 (क्षरण 15 वर्ष)

योग =` 656836/- (56700+600136)

देय स्टाम्प शुल्क =` 32842/-(656836 ×5%)

जमा स्टाम्प शुल्क = ` 21800 /-

स्टाम्प शुल्क मे कमी = ` 11042 /- (32842 - 21000)

उक्त स्टम्प कमी `11042 /- नहीं जमा कराया गया था जिससे स्टाम्प शुल्क राजस्व हानी हुई थी |

(3) बही -01, जिल्द संख्या 25, क्रमांक 443 दिनांक 09-11-2017 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 10100 /-जमा किया गया था | उक्त विलेख मे क्षरण का लाभ की गणना त्रुटिपूर्ण थी| इसलिए सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार हैं|

वयनामा विक्रय मूल्य =` 201850 /-

भूमि का मूल्यांकन कि राशि =` 1,22,850/-(भूमि की दर 945 प्रति वर्ग मी ×भूमि 130 वर्ग मी (है0 0.013)

निर्मित भवन का मूल्यांकन = ` 2,20,930/- (20.16 वर्ग मीटर × दर 14104 × 0.777 (क्षरण 25 वर्ष)

योग =` 3,43,780 /- (122850 +220930)

देय स्टाम्प शुल्क =` 17189 /-(343780 ×5%)

जमा स्टाम्प शुल्क =` 10100 /-

स्टाम्प शुल्क मे कमी = ` 7089 /- (17189-10100)

उक्त स्टम्प कमी ` 7089 /- नहीं जमा कराया गया था जिससे स्टाम्प शुल्क राजस्व हानी हुई थी |

(4) बही -01, जिल्द संख्या 29, क्रमांक 577 दिनांक 31-12-17 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क रु 35000/- जमा किया गया था | उक्त विलेख मे क्षरण का लाभ की गणना त्रुटिपूर्ण थी| इसलिए सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार हैं|

वयनामा विक्रय मूल्य =` 6,50,000/-

भूमि का मूल्यांकन कि राशि =` 95,000 /-(भूमि की दर 945 प्रति वर्ग मी ×भूमि 100 वर्ग मी (है0 0.010)

निर्मित भवन का मूल्यांकन =` 6,48,128 (38.07 वर्ग मीटर × दर 17734 × 0.960 (क्षरण 04 वर्ष)

योग =` 7,43,128 /- (95000 +648128)

देय स्टाम्प शुल्क =` 37156/-(743128 ×5%)

जमा स्टाम्प शुल्क =` 35000/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी = ` 2156 /- (37156-35000)

उक्त स्टम्प कमी ` 2156 /- नहीं जमा कराया गया था जिससे स्टाम्प शुल्क राजस्व हानी हुई थी |

इसप्रकार,चारों विलेखों में `30426 स्टाम्प कम लगाए जाने से राजस्व हानी हुई। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया की वसूली हेतू संबन्धित क्रेताओं को नोटिस जारी कर स्टाम्प कमीवसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अत: स्टाम्प शुल्क `30426**/- (2156+7089+11042+10139)** कमी का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

भाग-II(ब)

प्रस्तर सं०- 02: अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जाना।

कार्यालय उप-निबंधक, पुरोला के लेखा-परीक्षा में लेखा-परीक्षा को कैटलॉग नहीं उपलब्ध कराया गया। कार्यालय में Index-Register भी नहीं बनाया गया था। जिल्दों की binding नहीं की गयी थी। स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित धारा-47 एवं धारा-33 की पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराई गयी।

लेखापरीक्षा में पाया कि उप-निबंधक, पुरोला कार्यालय का अस्तित्व 1980 से होने के बावजूद कार्यालय का कार्य सविदा कर्मी द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा था। कार्यालय में आवश्यक अलमारी, कुर्सी-मेज की भी कमी पायी गयी एवं इस मद की लेखा-परीक्षा अवधि (04/2015 से 03/2018) बजट उपलब्धता के भी प्रमाण नहीं थे। कार्यालय की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा व निरीक्षण भी नहीं किया गया था।

लेखा-परीक्षा में इंगित करने पर उप-निबंधक ने उत्तर दिया कि स्टाफ की कमी के कारण index register तैयार नहीं हो पाये एवं धारा 33 एवं धारा 47 पंजिका तैयार कर सीधे प्रेषित कर दी जाएगी। बजट के अभाव में जिल्दों की binding नहीं हो पायी है।

कार्यालय के उत्तर से स्पष्ट था लेखा-परीक्षा के कथन की स्वीकारोति थी। अत: अभिलेखों का रख-रखाव न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 क	2 ब	2 क	2 ब	2 क	2 ब
11/2000-01	-	1	-	-	-	1
15/1999-2000	**-**	1(a), 1(b)	-	-	-	1(a), 1 (b)
85/1998-99	**-**	1	-	-	-	1
26/1991-92	**-**	1,2,3,4	-	-	-	1,2,3,4
05/1988-89	**-**	1	-	-	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबंधक - पुरोला (उत्तरकाशी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   (i) धारा-33 एवं 47 की पंजिका
   (ii) Index Register, कैटालॉग
   (iii) बजट आवंटन पत्रावली
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री गोपाल सिंह चौहान	तहसीलदार	03.03.2015 से 25.07.2015
(ii)	श्री चतुर सिंह चौहान	तहसीलदार	30.09.2015 से 31.03.2017
(iii)	श्री सिन्हा सिंह	तहसीलदार	01.04.2017 से 30.06.2017
(iv)	श्री सर्बू शाह	तहसीलदार	01.07.2017 से 31.10.2017
(v)	श्री माधो राव शर्मा	तहसीलदार	31.10.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबंधक - पुरोला (उत्तरकाशी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-32/2018-19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र